पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 1756/अका.का.प/2021 रायपुर, दिनांक 10/03/2021

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की संतावनवीं बैठक मंगलवार दिनांक 16.03.2021 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.01.2021 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना। (पृष्ठ क्र 1 से 6 तक)**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

2. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.01.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

3. **विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 09.03.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न। **(पृष्ठ क्र 07 से 12 तक)**

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

4. **वित्तीय वर्ष 2021–22 का प्रस्तावित बजट के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।**

   टीप : वित्तीय वर्ष 2019–20 वास्तविक बजट, वर्ष 2020–21 पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रस्तावित बजट वित्त समिति से अनुमोदन उपरांत माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
   आय–व्यय पत्रक पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

5. **वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंकेक्षण शुल्क रु. 19,76,284=00 (रुपए उन्नीस लाख छिहत्तर हजार दो सौ चौरासी मात्र) का किए गए भुगतान का अनुमोदन करना।**

   टीप : विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंकेक्षण शुल्क की राशि रु. 19,76,284=00 (रुपए उन्नीस लाख छिहत्तर हजार दो सौ चारासी मात्र) उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर को भुगतान पश्चात् माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

6. **विश्वविद्यालयीन पूरक परीक्षा 2020–21 की परीक्षाओं के संचालन हेतु परीक्षा अग्रिम की राशि रु. 9,70,000=00 (रुपए नौ लाख सत्तर हजार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।**

   टीप : विश्वविद्यालयीन पूरक परीक्षा 2020–21 की परीक्षाओं के संचालन हेतु परीक्षा अग्रिम की राशि रु. 9,70,000=00 (रुपए नौ लाख सत्तर हजार मात्र) के अनुमोदन हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

7. **विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों को भरने के संबंध में विचार करना।**

   टीप : शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 1892/3207/2017/38–2 दिनांक 04.02.2021 में संलग्न छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 118/एफ– 2015–04–02007/ब–4/चार, वित्त निर्देश 13/2020 दिनांक 02.06.2020 के परिप्रेक्ष्य में वर्ष–2015 में जारी विज्ञापन क्रमांक 1790/स्था./सा.प्रशा./2015 दिनांक 30.05.2015 के तहत् जिन विषयों/पदों पर नियुक्ति हो चुकी है ऐसे विषयों/पदों को छोड़ कर शेष विषयों/पदों का विज्ञापन एवं विज्ञापन क्रमांक 2853/स्था./सा.प्रशा. /2015 दिनांक 10.08.2015 को निरस्त किए जाने तथा निरस्त किए गए विज्ञापन के विषयों/पदों (प्रोफेसर–10 पद, सह प्राध्यापक–23 पद, सहायक प्राध्यापक–19 पद तथा अशैक्षणिक (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी)–10 पद) के लिए पुनः विज्ञापन जारी किए जाने संबंधी प्रकरण कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

8. **केमिकल, ग्लासवेयर, लैबवेयर, एवं Laboratory Consumables सामग्री क्रय करने के संबंध में विचार करना।**

टीप : केमिकल, ग्लासवेयर, लैबवेयर, एवं Laboratory Consumable सामग्री रेट कांट्रेक्ट के आधार पर क्रय हेतु निविदा सूचना क्रमांक 265/विकास/नि.सू./2019 रायपुर, दिनांक 31.08.2019 के द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।
रेट कांट्रेक्ट के आधार पर 01 वर्ष के लिए केमिकल, ग्लासवेयर, लैबवेयर, एवं Laboratory Consumable सामग्री क्रय करने के लिए पत्र क्रमांक 59/विकास/2020 रायपुर, दिनांक 11.02.2020 जारी किया गया था। वर्ष 2020 में कोरोना काल होने के कारण विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं के द्वारा केमिकल, ग्लासवेयर, लैबवेयर, एवं Laboratory Consumable सामग्री क्रय नहीं किया गया है।
वर्तमान में विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं में प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए केमिकल, ग्लासवेयर, लैबवेयर, एवं Laboratory Consumable सामग्री क्रय हेतु रेट कांट्रेक्ट अवधि दिनांक 10.02.2021 को समाप्त होने के कारण लैब संबंधी सामग्री क्रय हेतु दिनांक 31.03.2021 तक के लिए वृद्धि किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

9. **विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 1615, 1617, 1619, 1621, 1623, 1625, 1627 एवं 1629 दिनांक 19.02.2021 में संशोधन के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय अकादमिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों –

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम
1	बी.ए. पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 11
2	बी.ए. (क्लासिक्स) पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 12
3	बी.एस–सी. पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 21
4	बी.कॉम. पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 23
5	बी.एस–सी. (गृह–विज्ञान) अध्यादेश क्रमांक – 27
6	बी.पी.ई. पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 110
7	बी.ए.एल.एल.बी. पाठ्क्रम अध्यादेश क्रमांक – 179
8	एल.एल.बी. पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 180

के कंडिका – 8 (स.क्र. 1 से 4) तथा कंडिका – 6 (स.क्र. 5), कंडिका – 6.6 (स.क्र. 6), कंडिका – 5 की उप कंडिका (ए) (स.क्र. 8), कंडिका – 9 (स.क्र. 7) के परंतुक में उल्लेखित अंश "An examinee must pass in both external and internal evaluation separately" परीक्षा परिणाम की दृष्टि से असुविधाजनक है। अतएव उक्त अंश को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

10. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1757/अका.का.प/2021 रायपुर, दिनांक 10 /03/2021

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 1291 / अका. / का.प / 2021 रायपुर, दिनांक 01/02/2021

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की छप्पनवीं बैठक शुक्रवार दिनांक 29.01.2021 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:–

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1.	डॉ. शैलेंद्र सराफ	– सदस्य	9.	श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	– सदस्य
2.	डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा	– सदस्य	10.	डॉ. एस.आर. गुप्ता	– सदस्य
3.	डॉ. कल्लोल कुमार घोष	– सदस्य	11.	श्री गोविंद कुमार चंद्राकर	– सदस्य
4.	डॉ. (श्रीमती) नंदा गुरवारा	– सदस्य	12	डॉ. एम.एल. नायक	– सदस्य
5.	डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल	– सदस्य	13.	श्री सोनऊ राम नेताम	– सदस्य
6.	डॉ. ममता शर्मा	– सदस्य	14.	श्री सत्यनारायण शर्मा	– सदस्य
7.	डॉ. समीर ठाकुर	– सदस्य	15.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	– सदस्य
8.	डॉ. के.एन. शर्मा	– सदस्य	16.	डॉ. लक्ष्मी ध्रुव	– सदस्य

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.11.2020 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **संपुष्टि की गई।**

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.11.2020 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **सूचना ग्रहण की गई।**

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त प्राध्यापकों के अवकाश नगदीकरण की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त प्राध्यापकों के अवकाश लेखे में शेष अर्जित अवकाश के समर्पण को स्वीकार कर निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण भुगतान की सूचना ग्रहण की गई –**

(1)	डॉ. एस.सी. नैथानी	–	1611904 / –
(2)	डॉ. सरला शर्मा	–	1678337 / –
(3)	डॉ. प्रोमिला सिंह	–	1955072 / –
(4)	डॉ. विजया कोचे	–	894208 / –
(5)	डॉ. मिताश्री मित्रा	–	1955072 / –
		कुल–	**8094593 / –**

(रुपए अस्सी लाख चौरानबे हजार पाँच सौ तिरानबे मात्र)

4. विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों का उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा का अंतिम शेष ब्याज सहित भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों का उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा का अंतिम शेष ब्याज सहित भुगतान की निम्नानुसार अनुमोदन किया गया :—**

1	डॉ. मिताश्री मित्रा	2292661/—
2	डॉ. एस.सी. नैथानी	3439958/—
3	डॉ. प्रोमिला सिंह	2949455/—
4	डॉ. सरला शर्मा	1891741/—
5	डॉ. प्रभा रोहतगी	3166878/—
6	श्री अभयराम साहू	338210/—
	कुल राशि रुपए —	**1,40,78903/—** (रुपए एक करोड़ चालीस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ तीन मात्र)

5. विश्वविद्यालय सामान्य मद में सत्र 2020—21 हेतु राशि पुनर्विनियोजित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: **वित्तीय सत्र 2020—21 हेतु सामान्य मद (20)** Additional Provision for Land Acquisition **के प्रावधानित राशि रु. 200.00 लाख के शेष उपलब्ध से सामान्य मद 6** Non- Recuring Expenditure (ii) Other Machines/Computer **राशि रु. 8.00 लाख स्थानांतरण कर पुनर्विनियोजित किए जाने का अनुमोदन किया गया —**

क्र.	**मद विवरण**	**प्रावधानित राशि (लाख में)**	**राशि में वृद्धि पश्चात् (लाखों में)**	**निम्न मद से पुनर्नियोजन प्रस्ताव**	**औचित्य**
01	02	03	04	05	06
1.	6 Non- Recuriring Expenditure (ii) Other Machines/Computer	16.00	24.00 (रु. 08.00 लाख की वृद्धि)	A Gen Administration (20) Additional Provisional for Land Acquisition	फ्रेंकिंग मशीन क्रय एवं अन्य भुगतान संबंधित

सामान्य प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव :—

6. विश्वविद्यालय कुलसचिव, उप—कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव को पुनरीक्षित (7वाँ) वेतनमान का लाभ दिए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालयीन कुलसचिव, उप—कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3530/स्था./सा.प्रशा./2020 दिनांक 06.11.2020 के द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित (7वाँ) वेतनमान की सूचना ग्रहण की गई।**

7. डॉ. ए.के. पति, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला के धारणाधिकार समाप्त किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: **डॉ. ए.के. पति द्वारा अपने मूल पद प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला के पद पर दिनांक 28.11.2020 को पदभार ग्रहण किए जाने के फलस्वरुप इन्हें स्वीकृत धारणाधिकार को दिनांक 28.11.2020 से समाप्त किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

8. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ़–सफाई व्यवस्था के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **साफ–सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य कर रहे फर्म का कार्यकाल दिनांक 31/12/2020 को समाप्त होने के कारण विभागीय/केंद्रीय क्रय समिति द्वारा किए गए अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ़–सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य हेतु दिनांक 01/01/2021 से 31/12/2021 तक 01 वर्ष के लिए New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के नाम से जारी कार्य आदेश क्र. 418/विकास/सफाई कार्य/2020 रायपुर, दिनांक 31/12/2020 का अनुमोदन किया गया।**

9. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य कर रहे फर्म का कार्यकाल दिनांक 31/12/2020 को समाप्त होने के कारण विभागीय/केंद्रीय क्रय समिति द्वारा किए गए अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य हेतु दिनांक 01/01/2021 से 31/12/2021 तक 01 वर्ष के लिए New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp.Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के नाम से जारी कार्य आदेश क्र. 416/विकास/सु0व्यव0/2020 रायपुर, दिनांक 31/12/2020 का अनुमोदन किया गया।**

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव

10. शासकीय जे. योगानंदम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को विधि विषय में शोध–केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **शासकीय जे. योगानंदम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को विधि विषय में शोध उपाधि समिति की अनुशंसा पर अस्थाई रूप से 3 वर्ष के लिए शोध–केंद्र की मान्यता प्रदान की जाती है।**

11. Ph.D. Eligibility Certificate की वैधता समय वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **कोरोना महामारी के कारण शोध कार्य हेतु पंजीयन की प्रक्रिया बाधित होने के कारण शोधार्थियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर Ph.D. Eligibility Certificate की वैधता 6 माह बढ़ाए जाने का अनुमोदन किया गया।**

कंप्यूटर केंद्र गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्ताव

12. विश्वविद्यालय के सर्वर के AMC, Antivirus/Anti Spyware वार्षिक रखरखाव का कार्य एवं Up-gradation of Webmail from prsu.org.in to prsu.ac.in के कार्य हेतु M/S Key Computers, नागपुर को रु. 5,20,936.00 (रुपए पाँच लाख बीस हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय के सर्वर के AMC, Antivirus/Anti Spyware वार्षिक रखरखाव का कार्य एवं Up-gradation of Webmail from prsu.org.in to prsu.ac.in के कार्य हेतु दिनांक 13-12-2019 से 12-06-2020 तक की समयावधि के लिए M/S Key Computers, नागपुर को रु. 5,20,936.00 (रुपए पाँच लाख बीस हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मूलविज्ञान केंद्र से संबंधित प्रस्ताव

13. मूलविज्ञान केंद्र के द्वितीय तल में निर्माणाधीन सेमीनार हॉल का नाम भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति व वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखे जाने बाबत्।

निर्णय : **मूलविज्ञान केंद्र के द्वितीय तल में निर्माणाधीन सेमीनार हॉल का नाम भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति व वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखे जाने का अनुमोदन किया गया।**

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.01.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **अनुमोदन किया गया।**

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा–2021 के लिए अनुचित साधन समिति के गठन पर विचार करना।

निर्णय : **अनुचित साधन समिति वर्ष 2020 के लिए गठित समिति को पुनः वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा, 2021 के लिए मान्य किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. कुलसचिव निवास के लिए नवीन इंप्रेस्ट राशि 5000/– (रुपए पाँच हजार मात्र) प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **कुलसचिव निवास के लिए नवीन इंप्रेस्ट राशि 5000/– (रुपए पाँच हजार मात्र) प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।**

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

4. नवीन एवं संशोधित अध्यादेशों का अनुमोदन पश्चात् सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदन पश्चात् प्राप्त निम्नानुसार नवीन एवं संशोधित अध्यादेश की सूचना ग्रहण की गई तथा तद्नुसार आगे कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया :**

1. **नवीन अध्यादेश क्रमांक–190** (P.G. Diploma in Rehabilitation Psychology) One year (Two Semester)
2. **नवीन अध्यादेश क्रमांक–191** (P.G. Diploma in Rehabilitation Psychology) One year
3. **नवीन अध्यादेश क्रमांक–192** (B.A.B.Ed.)
4. **नवीन अध्यादेश क्रमांक–193** (B.Sc.B.Ed.)
5. **नवीन अध्यादेश क्रमांक–194** (P.G. Diploma in Applied Hydrogeology)
6. **अध्यादेश क्रमांक–45** (Doctor of Philosophy)
7. **अध्यादेश क्रमांक–67** (Post Graduate Diploma in Computer)
8. **अध्यादेश क्रमांक–06** (Examination General)
9. **अध्यादेश क्रमांक–85** (Master of Computer Application)
10. **अध्यादेश क्रमांक–161** (P.G. Diploma in Remote Sensing & Geographic)
11. **अध्यादेश क्रमांक–131** (Bachelor of Pharmacy)
12. **अध्यादेश क्रमांक–159** (Master of Pharmacy)

गणित अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्ताव

5. गणित अध्ययनशाला के विभागीय इंप्रेस्ट राशि रुपए 10,000/– (रुपए दस हजार मात्र) से रुपए 20,000/– (रुपए बीस हजार मात्र) किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **गणित अध्ययनशाला के विभागीय इंप्रेस्ट राशि रुपए 10,000/– (रुपए दस हजार मात्र) से रुपए 20,000/– (रुपए बीस हजार मात्र) किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव

6. मेसर्स खालसा कंसट्रक्शन, रायपुर को कुलपति निवास के बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य के अंतिम भुगतान कुल राशि रु. 12,25,220.00 (रुपए बारह लाख पच्चीस हजार दो सौ बीस मात्र) (पेनॉल्टी एवं परफारमेंस गारंटी राशि रोक कर) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : **मेसर्स खालसा कंसट्रक्शन, रायपुर को कुलपति निवास के बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य के अंतिम भुगतान कुल राशि रु. 12,25,220.00 (रुपए बारह लाख पच्चीस हजार दो सौ बीस मात्र) (पेनॉल्टी एवं परफारमेंस गारंटी राशि काट कर) (सकल देयक रु. 16,65,917.00 (–) प्रथम देयक रु. 4,40,697.00 (=) अंतिम देयक रु. 12,25,220.00) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव

7. माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट के पंजीयन प्राप्ति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय परिसर स्थित माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट, पता– पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर का पंजीयन, न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर (छ.ग.) द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक 419, दिनांक 22.12.2020 की सूचना ग्रहण की गई।**

8. विश्वविद्यालय यंत्री श्री के.पी. तिवारी की संविदा सेवा वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **श्री के.पी. तिवारी का दिनांक 19.02.2021 से 02.04.2021 (70 वर्ष की उम्र पूरी होने की तिथि) तक अथवा विश्वविद्यालय यंत्री की प्रतिनियुक्ति तक, जो भी पहले हो, संविदा सेवा वृद्धि हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

जैविकी अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्ताव

1. जैविकी अध्ययनशाला में क्रय किए गए उपकरण (AUTOLAB-204) के बिल के भुगतान हेतु देयक राशि रुपए 14,07,000/– (रुपए चौदह लाख सात हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **जैविकी अध्ययनशाला में** SERB-SRG शोध परियोजना के अंतर्गत मेसर्स Metrohm Autolab B.V. The Netherlands से **क्रय किए गए उपकरण (AUTOLAB-204) की देयक राशि रुपए 14,07,000/– (रुपए चौदह लाख सात हजार मात्र) के भुगतान की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।**

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव

2. एम.फिल. पाठ्यक्रम का संचालन आगामी सत्र से बंद होने के कारण एम.फिल् छात्रवृत्ति के लिए प्रावधानित राशि को पी–एच.डी. छात्रों के लिए परिवर्तित किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **एम.फिल. पाठ्यक्रम का संचालन आगामी सत्र से बंद किए जाने के कारण एम.फिल् छात्रवृत्ति के लिए प्रावधानित राशि को आगामी सत्र से पूर्व में स्थापित 20 शोध छात्रवृत्ति के अतिरिक्त 05 नए कुल 25 पी–एच.डी. छात्रों के लिए परिवर्तित किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव

3. वार्षिक परीक्षा पश्चात कार्य सत्र 2019–20 का देयक राशि रु. 1,90,65,088.00 (रुपए एक करोड़ नब्बे लाख पैंसठ हजार अठ्यासी मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **वार्षिक परीक्षा पश्चात गोपनीय कार्य सत्र 2019–20 का द्वितीय किश्त की कुल देयक 2,11,83,431.00 (रुपए दो करोड़ ग्यारह लाख तिरासी हजार चार सौ इकतीस मात्र) की 10 प्रतिशत राशि को रोक कर 90 प्रतिशत की राशि रु. 1,90,65,088.00 (रुपए एक करोड़ नब्बे लाख पैंसठ हजार अठ्यासी मात्र) के भुगतान का अनुमोदन किया गया।**

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव

4. विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व शासन एवं वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् पूर्व में विज्ञापित एवं प्रक्रियाधीन पदों को भरने की कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति	**कुलसचिव**
अध्यक्ष	सचिव

पृ. क्रमांक : 1292/अका./का.प/2021 **रायपुर, दिनांक 01 /02/2021**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

(7)

क्रमांक: 1754/अका./वि.परि./2021 रायपुर, दिनांक : 10 /03/2021

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक मंगलवार, दिनांक 09.03.2021 को अपराह् 3:00 बजे प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :

1. प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव	–	सदस्य
3. डॉ. कल्लोल कुमार घोष	–	सदस्य
4. डॉ. ए.के. गुप्ता	–	सदस्य
5. डॉ. एस.के. प्रसाद	–	सदस्य
6. डॉ. सी.डी. अगासे	–	सदस्य
7. डॉ. (श्रीमती) नंदा गुरवारा	–	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) प्रीति के सुरेश	–	सदस्य
9. डॉ. संजय कुमार	–	सदस्य
10. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा	–	सदस्य
11. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल	–	सदस्य
12. डॉ. के.आर. हरि	–	सदस्य
13. डॉ. बी.एस. ठाकुर	–	सदस्य
14. डॉ. एस.के. जाधव	–	सदस्य
15. डॉ. एन.के. बाघमार	–	सदस्य
16. डॉ. (श्रीमती) मीता झा	–	सदस्य
17. डॉ. एल.एस. गजपाल	–	सदस्य
18. डॉ. केशवकांत साहू	–	सदस्य
19. डॉ. अशोक प्रधान	–	सदस्य
20. डॉ. निनाद बोधनकर	–	सदस्य
21. डॉ. राधा पाण्डेय	–	सदस्य
22. डॉ. प्रीति तिवारी	–	सदस्य
23. डॉ. कुंज बिहारी शर्मा	–	सदस्य
24. डॉ. हेमलता बोरकर	–	सदस्य
25. डॉ. गिरीश कांत पाण्डेय, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

1. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 12.02.2019 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः संपुष्टि की गई।

2. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 12.02.2019 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

3. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक –

23.03.2019,	17.05.2019,	19.06.2019,	22.07.2019,
04.11.2019,	17.12.2019,	13.02.2020,	25.03.2020,
22.06.2020,	10.08.2020,	09.09.2020,	16.10.2020,
02.11.2020	27.01.2021	के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।	

निर्णय :विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन करते हुए दिनांक 27.01.2021 के निर्णय क्रमांक –

3(v) शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य पीजी महाविद्यालय, महासमुंद में एम.ए. अंतिम समाजशास्त्र सत्र 2010–11 के स्थान पर सत्र 2009–10,

3(xiii) शास. नवीन महाविद्यालय, गोहरापदर में बी.एस–सी. द्वितीय वर्ष बायो समूह में सत्र 2020–21 के स्थान पर सत्र 2019–20 सुधार करने तथा

पूरक विषय सूची के निर्णय क्रमांक –

1(i) शास. राजीवलोचन महाविद्यालय राजिम में बी.ए. तृतीय वर्ष अंग्रेजी साहित्य सीट संख्या–30 सत्र 2020–21 पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हुए जारी की गई अस्थाई संबद्धता की सूचना ग्रहण की गई।

4. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार <u>अस्थायी</u> संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(i)	शासकीय शहीद वीरनारायण सिंह महा. बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा	B.Sc.-II- (Bio Group) - Chemistry, Botany, Zoology	60	2017–18
		B.Sc.-II (Maths Group) - Physics, Chemistry, Maths	60	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(ii)	शास. दाऊ कल्याण पीजी महा. बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा	LLM Part-I- Ist & IInd Sem.	20	2020–21
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(iii)	श्यामबालाजी महाविद्यालय, महासमुंद	B.A. -I-(Hindi Lit., Political Sc., Sociology	60	2020–21
		PG Diploma in Yoga Science	20	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई। इण्डोमेंट फण्ड के संबंध में महाविद्यालय को पत्र प्रेषित किया जाए।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(iv)	सेंट विंसेंट पैलोटी महाविद्यालय, कांपा, रायपुर	B.P.E.-III year	30	2020–21
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई। इण्डोमेंट फण्ड के संबंध में महाविद्यालय को पत्र प्रेषित किया जाए।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
(v)	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी, जिला–धमतरी	M.Sc.-I/II Sem. Botany	20	2020–21
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
(vi)	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मोपका–निपनिया, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा	B.A.-II- FC-(Hindi, English), Political Science, Hindi Litt., Sociology, Geography,	90	2019–20
		B.Sc.-II- Maths Group- Chemistry Maths, Physics	90	
		B.Com.-II- All Compulsory Subject	90	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।			

5. कोपलवाणी श्रवण बाधित आवासीय महाविद्यालय, सुंदर नगर, रायपुर के चार वर्षों सत्र 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 की वार्षिक संबद्धता आदेश के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **कोपलवाणी श्रवण बाधित आवासीय महाविद्यालय, सुंदर नगर, रायपुर के चार वर्षों सत्र 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 की वार्षिक संबद्धता आदेश जारी किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

6. डॉ. मोनिका सेठी के प्रबंध विषय में डी.लिट् करने हेतु पात्रता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **संकायाध्यक्ष वाणिज्य एवं प्रबंध संकाय तथा अध्यक्ष वाणिज्य अध्ययन मंडल की गठित समिति की अनुशंसा अनुसार आवेदक दोनों संकाय में पंजीयन हेतु पात्र है, का अनुमोदन किया गया।**

7. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायुपर की निम्नलिखित परीक्षाओं में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को सत्र 2021–22 से स्वर्ण–पदक प्रदान करने हेतु नवीन विनियम की अनुशंसा करना –

1. बी.एस–सी. गणित
2. बी.एस–सी. वनस्पति शास्त्र एवं जंतुविज्ञान
3. बी.एस–सी. रसायनशास्त्र
4. बी.ए. अर्थशास्त्र

निर्णय : **पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायुपर की निम्नलिखित परीक्षाओं में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को सत्र 2021–22 से स्वर्ण–पदक प्रदान करने हेतु नवीन विनियम की निम्नानुसार अनुशंसा की गई –**

(1) दानदाता डॉ. अवध राम–प्रतिभा चंद्राकर द्वारा "आइजैक न्यूटन वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रसार स्वर्ण–पदक, कुरूद" ("ISAC NEWTON VAIGYANIK DRISTIKON PRASAR GOLD MEDAL, KURUD") के नाम से सत्र 2021–22 विश्वविद्यालय की परीक्षा बी. एस–सी. अंतिम के गणित विषय (B.Sc.-Part-III- Subject- Mathematics) में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र/छात्रा जो कि बी.एस–सी. की परीक्षा में प्रथम प्रयास में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो, को स्वर्ण–पदक प्रदान किए जाने हेतु बुक/रसीद क्रमांक B.No./R.No. 4425/16, Dated- 01-03-2021 के द्वारा रूपए 50,000/– (रुपए पचास हजार मात्र) आदेशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। इस आशय का प्रस्तावित विनियम 190 की अनुशंसा की गई।

(2) दानदाता डॉ. अवध राम–प्रतिभा चंद्राकर द्वारा "चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रसार स्वर्ण–पदक, कुरूद" ("CHARLES DARWIN VAIGYANIK DRISTIKON PRASAR GOLD MEDAL, KURUD") के नाम से सत्र 2021–22 विश्वविद्यालय की परीक्षा बी.एस–सी. अंतिम के वनस्पति शास्त्र एवं प्राणीशास्त्र के कुल अंक (B.Sc. Final (Part-III) Total marks in Botany and Zoology) में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र/छात्रा जो कि बी.एस–सी. की परीक्षा में प्रथम प्रयास में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो, को स्वर्ण–पदक प्रदान किए जाने हेतु बुक/रसीद क्रमांक B.No./R.No. 4425/17, Dated- 01-03-2021 के द्वारा रुपए 50,000/– (रुपए पचास हजार मात्र) आदेशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। इस आशय का प्रस्तावित विनियम 191 की अनुशंसा की गई।

(3) दानदाता डॉ. अवध राम–प्रतिभा चंद्राकर द्वारा "डॉ. पी.पी. सरकार स्मृति स्वर्ण–पदक, कुरूद" ("Dr. P.P. SARKAR MEMORIAL GOLD MEDAL, KURUD") के नाम से सत्र 2021–22 विश्वविद्यालय की परीक्षा बी.एस–सी. अंतिम के रसायनशास्त्र विषय (B.Sc. Final (Part-III) subject Chemistry) में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र/छात्रा जो कि बी.एस–सी. की परीक्षा में प्रथम प्रयास में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो, को स्वर्ण–पदक प्रदान किए जाने हेतु बुक/रसीद क्रमांक B.No./R.No. 4425/18, Dated- 01-03-2021 के द्वारा रुपए 50,000/– (रुपए पचास हजार मात्र) आदेशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। इस आशय का प्रस्तावित विनियम 192 की अनुशंसा की गई।

(4) दानदाता डॉ. अवध राम– प्रतिभा चंद्राकर द्वारा "कलीराम–गैंदलाल–रामगुलाम चन्द्राकर स्वर्ण पदक, कुरूद" ("KALIRAM-GAINDLAL-RAMGULAM CHANDRAKAR GOLD MEDAL, KURUD") के नाम से सत्र 2021–22 विश्वविद्यालय की परीक्षा बी.ए. अंतिम के अर्थशास्त्र विषय (B.A. Final (Part-III) subject Economics) में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र/छात्रा जो कि बी.ए. की परीक्षा में प्रथम प्रयास में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो, को स्वर्ण–पदक प्रदान किए जाने हेतु बुक/रसीद क्रमांक B.No./R.No. 4425/19, Dated- 01-03-2021 के द्वारा रुपए 50,000/– (रुपए पचास हजार मात्र) आदेशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। इस आशय का प्रस्तावित विनियम 193 की अनुशंसा की गई।

8. सत्र 2020–21 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय, सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सत्र 2019–20 एवं 2020–21)
2	शासकीय मिनीमाता कन्या महा. बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सत्र 2019–20)
3	शास. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
4	शास. शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
5	शास. नवीन महाविद्यालय, बीरगांव, जिला–रायपुर
6	शास. नवीन महाविद्यालय, आमदी, जिला–धमतरी (सत्र 2019–20 एवं 2020–21)
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा (राजिम), जिला–रायपुर
2	दुलीचंद जालान कॉलेज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन तिलईपाली, सरसींवा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा

3	महर्षि दयानंद संस्कृत महाविद्यालय, ग्राम–कोसरंगी, पो.–पचेड़ा, महासमुंद, जिला–महासमुंद
4	सी.आई.टी. बी.एड्. कॉलेज, भेलवाडीह, पो.–उपरवारा, जिला–रायपुर
5	सी.आई.टी. साइंस एंड कामर्स कॉलेज, ग्राम–भेलवाडीह, अभनपुर, जिला–रायपुर
6	आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज आफ मैनेजमेंट, डुमरतालाब, रायपुर (सत्र 2019–20 एवं 2020–21)

निर्णयः उपरोक्त महाविद्यालय को वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

1. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(i)	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, समता कॉलोनी, रायपुर, जिला–रायपुर	बी.वॉक. (नवीन पाठ्यक्रम) द्वितीय वर्ष	40	2018–19
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।			

2. आंतरिक अंक 10 प्रतिशत के संबंध में निम्नलिखित अध्यादेश हेतु नवीन विनियम निर्माण पर विचार करना –
   1. बी.ए. पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 11
   2. बी.ए. (क्लासिक्स) पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 12
   3. बी.एस–सी. पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक– 21
   4. बी.कॉम. पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 23
   5. बी.एस–सी. (गृह–विज्ञान) अध्यादेश क्रमांक – 27
   6. बी.पी.ई. पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 110
   7. बी.ए.एल.एल.बी. पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 179
   8. एल.एल.बी. पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 180

निर्णय : आंतरिक अंक 10 प्रतिशत के संबंध में निम्नलिखित अध्यादेश हेतु विनियम क्रमांक–194 का अनुमोदन किया गया –

1. **बी.ए. पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 11**
2. **बी.ए. (क्लासिक्स) पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 12**
3. **बी.एस–सी. पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक– 21**
4. **बी.कॉम. पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 23**
5. **बी.एस–सी. (गृह–विज्ञान) अध्यादेश क्रमांक – 27**
6. **बी.पी.ई. पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 110**
7. **बी.ए.एल.एल.बी. पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 179**
8. **एल.एल.बी. पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक – 180**

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

(12)

पृ. क्रमांकः 1755 /अका./वि.परि./2021 रायपुर, दिनांक : 10/03/2021

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
3. विद्यापरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
4. अध्यक्ष, समस्त अध्ययन शाला/ग्रांट सेल/समस्त विभागीय अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. वित्त नियंत्रक /अंकेक्षण विभाग,
6. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)